



भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में स्पेन को हराकर भारत के लिए चौथा ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। भारतीय हॉकी टीम ने कदान हरमनपीत सिंह की अपार्ड में दोस्तों ओलंपिक 2020 के प्रदर्शन को दोहराया है। भारतीय टीम ने बेहरीन खेल का प्रदर्शन करते हुये स्पेन को 2-1 से हराकर इतिहास रचा है। पहले क्वार्टर के दौरान भारत ने नौ बार आक्रमक तरीके से स्पेन के सर्कत में प्रवेश किया लेकिन गोल करने में सफल नहीं हुये। इसके बाद स्पेन ने दूसरे क्वार्टर में फिर से आक्रमक शुरुआत करते हुए केवल तीन मिनट बाद मिले फैर्टी स्ट्रोक का कागदा जाते हुए 18वें मिनट में गोल दागकर अपनी टीम को बढ़त दिला दी। दूसरे क्वार्टर में भारतीय कदान हरमनपीत ने फैर्टी कॉर्नर का गोल में बदलकर युक्त हुए 1-1 से बदल दिला कर ली। तीसरे क्वार्टर में 33वें मिनट में गोल दाग कर भारतीय टीम को 2-1 से बढ़त दिला दी और भारत ने अंत तक इस बढ़त को कायम रखकर यह युक्तावली जीत लिया। पेरिस 2024 ग्रीष्मकालीन खेलों में यह भारत का लोक्यांक स्कॉरिंग पक्क है और पुरुष हॉकी में यह 13वां ओलंपिक पक्क है। यूरोपियन ओलंपिक 1972 के बाद यह पहली बार है जब भारत ने लगातार दो ओलंपिक पक्क जीते हैं। ओलंपिक में मिली इस जीत के साथ ही भारतीय गोलकीपर पी.आर. श्रीजश ने संन्यास ले लिया। भारतीय हॉकी टीम ने एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में स्वर्ण, लॉस एंजिलिस 1932 में स्वर्ण, बर्लिन 1936 में स्वर्ण, लंदन 1948 में स्वर्ण, हॉलिस्को 1952 में स्वर्ण, मैलबन 1956 में स्वर्ण, राम 1960 में रजत, टोक्यो 1964 में स्वर्ण, मैकेस्को सिटी 1968 में कांस्य, यूरोपियन 1972 में कांस्य, मॉस्को 1980 में स्वर्ण, टोक्यो 2020 में कांस्य और पेरिस 2024 में कांस्य जीता है।

चंद्रबाबू नायदू के अमित शाह को किये गये फोन के बाद, वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक संसद में पेश होने से रुका

शायद पहली बार भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार किसी विधेयक को पेश करने का मन बना लेने के बाद पीछे हटी है

-श्रीनन्द झा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 8 अगस्त। भजनलाल में एक अत्याधिकारी ने अपने एक अत्याधिकारी के अनुसार, केन्द्र सरकार ने "वक्फ बोर्ड में बैठक के अनुसार, एक संयुक्त संसदीय कमेटी को संयोग दिया। जातर्याहै कि विषयक ने प्रस्तावित संशोधनों का कड़ा विवेदन किया था तथा एन.डी.ए. ए. गढ़वाली के घटक दल तेलुगुदेशम पार्टी (एन.डी.पी.) ने इन पर आपत्ति जताई थी।

तेलुगुदेशम पार्टी संसद बालयोगी ने कहा कि उनकी पार्टी सदन के परले पर विधेयक को अपने "संरक्षण" दे रही है। नायदा जाता है कि इस मुद्रे पर टी.डी.पी. ने इन पर आपत्ति जताई है।

तेलुगुदेशम पार्टी संसद बालयोगी ने कहा कि उनकी पार्टी सदन के परले पर विधेयक को अपने "संरक्षण" दे रही है। नायदा जाता है कि इस मुद्रे पर टी.डी.पी. ने इन पर आपत्ति जताई है।

वक्फ अधिनियम, 1995 में 44 संशोधन प्रस्तावित करने के बाद यह आइए जानें कि केन्द्र के विधेयक ने किया था। अन्य संशोधनों को अनुसार नहीं है, वक्फ बोर्ड के काम में हस्तक्षेप करने का और वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन करने का।

सरकार ने अपने किसी विधेयक पर अपने किसी विधेयक के अधिकारों के अधिकारी पर कुछ अंकुश लगाते हुए, जिलाधीश को अधिकारी दिये हैं, नियम कायदे बनाने के।

साथ ही कुछ गैर मुस्लिम व्यक्तियों को और महिलाओं को वक्फ बोर्ड का सदस्य बनाने का भी प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। कांग्रेस के सांसद वेणुगोपाल ने गैर मुस्लिम को वक्फ बोर्ड की गवर्निंग समिति का सदस्य बनाने का विरोध किया और कहा, "जब राम मंदिर के निर्माण के लिए समिति का गठन किया गया था, तो क्या गैर हिन्दुओं को उस समिति का सदस्य बनाया गया था?"

अखिलेश यादव ने इस संदर्भ में कहा, भाजपा को लोकसभा चुनाव में भारी झटका लगा था, अतः अब वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक लाकर भाजपा, अपने कट्टरपंथी (हार्ड लाइनर) खेमों को खुश करना चाहती है।

विषयक ने यह भी कहा कि सरकार को कोई अधिकार नहीं है, वक्फ बोर्ड के काम में हस्तक्षेप करने का और वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन करने का।

- प्रस्तावित विधेयक में एक प्रमुख बात यह है कि वक्फ बोर्ड के अधिकारी पर कुछ अंकुश लगाते हुए, जिलाधीश को अधिकारी दिये हैं, नियम कायदे बनाने के।
- साथ ही कुछ गैर मुस्लिम व्यक्तियों को और महिलाओं को वक्फ बोर्ड का सदस्य बनाने का भी प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। कांग्रेस के सांसद वेणुगोपाल ने गैर मुस्लिम को वक्फ बोर्ड की गवर्निंग समिति का सदस्य बनाने का विरोध किया और कहा, "जब राम मंदिर के निर्माण के लिए समिति का गठन किया गया था, तो क्या गैर हिन्दुओं को उस समिति का सदस्य बनाया गया था?"
- अखिलेश यादव ने इस संदर्भ में कहा, भाजपा को लोकसभा चुनाव में भारी झटका लगा था, अतः अब वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक लाकर भाजपा, अपने कट्टरपंथी (हार्ड लाइनर) खेमों को खुश करना चाहती है।
- विषयक ने यह भी कहा कि सरकार को कोई अधिकार नहीं है, वक्फ बोर्ड के काम में हस्तक्षेप करने का और वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन करने का।

उद्देश्य राज्य वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती करना तथा जिला मार्जिस्टोंटों संगठित प्रहार करते हुए, इसे वक्फ अधिनियम, 1995 में 44 संशोधन प्रस्तावित करने के बाद यह आइए जानें कि केन्द्र के विधेयक ने किया था। इसके अलावा, वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिमों तथा महिलाओं को शामिल किया जाना था। अन्य संशोधनों को अनुसार नहीं है, वक्फ बोर्ड के कामों के अलावा, इन संशोधनों का किया जाना भी प्रस्तावित किया गया है।

विषयक ने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड के कामों के अधिकारों में परकार करते हुए, इसे वक्फ अधिनियम, 1995 में 44 संशोधन प्रस्तावित करने के बाद यह आइए जानें कि केन्द्र के विधेयक ने किया था। अन्य संशोधनों को अनुसार नहीं है, वक्फ बोर्ड के कामों के अलावा, इन संशोधनों का किया जाना भी प्रस्तावित किया गया है।

विषयक ने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड के कामों के अधिकारों में परकार करते हुए, इसे वक्फ अधिनियम, 1995 में 44 संशोधन प्रस्तावित करने के बाद यह आइए जानें कि केन्द्र के विधेयक ने किया था। अन्य संशोधनों को अनुसार नहीं है, वक्फ बोर्ड के कामों के अलावा, इन संशोधनों का किया जाना भी प्रस्तावित किया गया है।

विषयक ने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड के कामों के अधिकारों में परकार करते हुए, इसे वक्फ अधिनियम, 1995 में 44 संशोधन प्रस्तावित करने के बाद यह आइए जानें कि केन्द्र के विधेयक ने किया था। अन्य संशोधनों को अनुसार नहीं है, वक्फ बोर्ड के कामों के अलावा, इन संशोधनों का किया जाना भी प्रस्तावित किया गया है।

विषयक ने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड के कामों के अधिकारों में परकार करते हुए, इसे वक्फ अधिनियम, 1995 में 44 संशोधन प्रस्तावित करने के बाद यह आइए जानें कि केन्द्र के विधेयक ने किया था। अन्य संशोधनों को अनुसार नहीं है, वक्फ बोर्ड के कामों के अलावा, इन संशोधनों का किया जाना भी प्रस्तावित किया गया है।

विषयक ने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड के कामों के अधिकारों में परकार करते हुए, इसे वक्फ अधिनियम, 1995 में 44 संशोधन प्रस्तावित करने के बाद यह आइए जानें कि केन्द्र के विधेयक ने किया था। अन्य संशोधनों को अनुसार नहीं है, वक्फ बोर्ड के कामों के अलावा, इन संशोधनों का किया जाना भी प्रस्तावित किया गया है।

विषयक ने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड के कामों के अधिकारों में परकार करते हुए, इसे वक्फ अधिनियम, 1995 में 44 संशोधन प्रस्तावित करने के बाद यह आइए जानें कि केन्द्र के विधेयक ने किया था। अन्य संशोधनों को अनुसार नहीं है, वक्फ बोर्ड के कामों के अलावा, इन संशोधनों का किया जाना भी प्रस्तावित किया गया है।

विषयक ने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड के कामों के अधिकारों में परकार करते हुए, इसे वक्फ अधिनियम, 1995 में 44 संशोधन प्रस्तावित करने के बाद यह आइए जानें कि केन्द्र के विधेयक ने किया था। अन्य संशोधनों को अनुसार नहीं है, वक्फ बोर्ड के कामों के अलावा, इन संशोधनों का किया जाना भी प्रस्तावित किया गया है।

विषयक ने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड के कामों के अधिकारों में परकार करते हुए, इसे वक्फ अधिनियम, 1995 में 44 संशोधन प्रस्तावित करने के बाद यह आइए जानें कि केन्द्र के विधेयक ने किया था। अन्य संशोधनों को अनुसार नहीं है, वक्फ बोर्ड के कामों के अलावा, इन संशोधनों का किया जाना भी प्रस्तावित किया गया है

